



दिनांक 04/05/1994

संख्या 719/सदह-वि-1-1(क) 13-1994

लखनऊ, 23 अप्रैल, 1994

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 23 अप्रैल, 1994  
वैशाख 3, 1916 शक सम्बत्

### उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग-1

संख्या 719/सदह-वि-1-1(क) 13-1994  
लखनऊ, 23 अप्रैल, 1994

#### अधिसूचना

विषय

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अर्थात् राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर रिप्रेंट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 अप्रैल, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर रिप्रेंट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान  
(संशोधन) अधिनियम, 1994  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त मोटर रिप्रेंट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान अधिनियम,  
1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1-- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर रिप्रेंट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री संश्लिप्त नाम  
कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन

2-संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट, डीजल त्रायल तथा अल्कोहल विक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 3 में, उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे,

(ख) खण्ड (ब) में, शब्द "आठ प्रतिशत की दर से तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दिनांक से बारह प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "सोलह प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
नरेन्द्र कुमार नारंग,  
सचिव।

No. 719(2)/XVII-V-1-1 (KA) 13-1994

Dated Lucknow, April 23, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil Tatha Alcohol Bikri Karadhan (Sansodhan) Adhinyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 11 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 22, 1994.

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1994

(U. P. Act No. 11 of 1994)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN  
ACT

Further to amend the U.P. Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1994.

Amendment of section 3 of U. P. Act no. 1 of 1939

2. In section 3 of the U. P. Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, in sub-section (1),—

(a) in clause (a), for the words "ten per cent" the words "fourteen per cent" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words "eight per cent and from the date notified by the State Government for the purpose at the rate of twelve per cent" the words "sixteen per cent" shall be substituted.

By order,  
N. K. NARANG,  
Sachiv.

पी०एल०यू०पी०—ए० पी० 29 सा० वि०—(191)—1994—850 (मेक०)।